निगरानी /एलआर/6015/2002/ राजसमंद
डालू बनाम श्रीमती केसी बाई (जरिये कायम मुकाम)

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>10.12.2025</td><td>

<u>एकल–पीठ</u>
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी ।
श्री अमित कसोटिया, अभिभाषक अप्रार्थी
श्रीमती मांगीबाई पत्नि नगजीराम पुत्री डूंगा अप्रार्थी

<u>**आदेश**</u>

1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–9–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 8–8–25 पर सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अप्रार्थी व अप्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 8–8–25 राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा तथा निगरानी को राजीनामें के आधार पर स्वीकार कर न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–9–02 को निरस्त किया जाकर नामांतरकरण सं. 1098 दिनांक 3–9–91 बहाल रखा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 8–8–25 के अनुसार निगरानी को उक्त राजीनामें के आधार पर स्वीकार कर न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–9–02 को निरस्त कर नामांतरकरण सं. 1098 दिनांक 3–9–91 बहाल रखे जाने में अपनी सहमति होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 8–8–25 के आलोक में निगरानी के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना निगरानी जरिये राजीनामा स्वीकार की जाकर न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–9–02 को निरस्त कर नामांतरकरण सं. 1098 दिनांक 3–9–91 को बहाल रखे जाने का आदेश दिया जाता है।
3. अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश प्रति एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 8–8–25 की प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

</td><td></td></tr>
</table>